न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 130 / 2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958

उनवान

कैलाश पिता कजोड भील निवासी रहड तहसील शाहपुरा

प्रार्थी

बनाम

1. मु0 सरमा पत्नी खेमराज मीणा निवासी टोपा
2. जीतमल पिता चन्द्र भील निवासी रहड
3. [illegible] पत्नी शंकर सिंह निवासी रहड

विपक्षीगण

उपस्थिति – **श्री राजेश वर्मा**
अधिवक्ता प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांक 11 / 01 / 21

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 [illegible] विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थी के **ग्राम रहड** [illegible] शाहपुरा जिला भीलवाडा मे स्थित **आराजी नम्बर 1519 / 3 रकबा 0.25 है0** कुल **किता 1** रकबा 0.25 **है0** हैक्टेयर का प्रार्थी **खातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी [illegible] विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद [illegible] रहता है। अतः पत्थरगढी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण [illegible] सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी [illegible] पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम रहड़ संवत 2076 से 2079** तक [illegible] किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् का प्रार्थी **खातेदार** दर्ज होकर अपनी आराजीयात [illegible] कराना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **रहड़** में [illegible] की उपरोक्त **खातेदारी** की आराजीयात् **किता** 1 **रकबा** 0.25 **है0 हैक्टेयर** की पुख्ता [illegible] पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण [illegible] विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढी **ऑफ सीजन में** [illegible] तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर फीस 50/– [illegible] कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढी मौका [illegible] करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11 / 01 / 21 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(शिल्पा सिंह IAS)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि – तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान [illegible] में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.